International Indexed & Refferred Research Journal, ISSN-2250-2599; Vol. I* ISSUE -1 Oct., 2012

शोध पत्र- राजनीति विज्ञान

धर्म और राजनीति के बीच की अस्वस्थता

* डॉ. विभा देशपांडे

ge cMs vfHkeku ls dgrs gS fd] gekjk ns'k /keZfujis{k gS] ;gka jkT; }kjk fdlh Hkh /keZ dks izJ; ugÈ fd;k tkrkA ijarq vkt Hkh /keZ v©j jktuhfr budk lac/k gesa Áxk< fn[kkÃ nsrk gSA vkt jktuhfr ds lEeq[k tks vkg~oku gS] muesa ,d Áeq[k vkg~oku /keZ gSA ,slk yxrk Fkk fd Lora= Hkkjr esa /kekZ/krk de gksxh ;k lekIr gksxh] ijarq blds Lo:i foØky gksrk tk jgk gSA vr blh dk lac/k esa ppkZ fopkj bl 'kks/k fuca/k esa fd;k gSA

ÁLrkouk &

धर्म का राजनीति पर बढ़ता प्रभाव ये आज के युग की एक महत्वपूर्ण समस्या हैं। परिणामस्वरूप जैसे–हमारे देश का विकास होना चाहिए वो खुंट सा गया है। ये समस्या आज सिर्फ हमारे देश की ही नहीं तो सम्पूर्ण मानव समाज मे धर्म और राज संस्था में संघर्ष चालू है। देश की बागडोर सम्हालने वाले अपनी सत्ता को बलशाही करने हेतु धर्म का उपयोग कर रहे है। अत धर्म एक साध्य मानकर उसके हाथों के साधन राजनीति बन गई है। आज किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था धर्म के इर्द गिर्द मंडराते हुये दिखाई देती है।

/keZ v©j jktuhfr &

धर्म और राजनीति का संबंध बहुत पुराना है। राजा और धर्म प्राचीन काल में एक ही माने जाते थे। राज्य पर धर्म का ही पगड़ा होता था, इंग्लंड में राजा चर्च का संरक्षक माना जाता था और माना जाता है। हमारे देश में भी औरंगजेब का नाम लेते ही मुसलमान का शासन और सम्राट अशोक कहते ही बौध्द धर्म की याद आये बिना नहीं रहती। यह बात भी ठीक है कि समाज को एकजुट करने और उसको एकत्रित बनाये रखने में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। जिससे शासन कर्ताओ की बहुत बडी चिंता दूर होती है। धर्म मानवीय समुदाय में एक अहंम भूमिका निभाता है। साथ ही मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है अत धर्म विरहित समाज की कल्पना करना असंभव है। सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होने के बाद भी धर्म ये संस्था अस्तित्व में रहेगी ही, ये सत्य है। मार्क्सवाद द्वारा जो वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज की कल्पना करते हुये यह कहा गया कि धर्म का भी विलय होगा ये एक भ्रामक कल्पना थी। आज इतने वर्षो बाद भी धर्म ये संस्था अपना अस्तित्व टिकाये हुये है। गांधीजी का भी यही कहना था कि शासन कार्यो में धर्म ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये अत धार्मिक कारणों के लिये कोई कानून बनाया जाय। सर्व धर्म समभाव ये गांधीजी के अनुसार शासकीय व्यवहार का तत्व नहीं, तो वो लोगों आपस में व्यवहार करते समय पालन करनेवाली नेतिकता थी।

परंतु वर्तमान में गांधीजी के इन विचारों को जांच लेना आवश्यक है। धर्म राजनेताओं को साधन सामग्री प्रदान करता हैं ये जितना सत्य है, उतना ही यह भी सत्य है कि धर्म राज्य पिड़ित जन सामान्य लोगों के लिये लढने के लिये एक हथियार है। राजनीति के समान ही धर्म का स्वरूप भी द्विमुखी होता है। परिवर्तनाग्रही जनलढाईको प्रोत्साहन करने का काम धर्म द्वारा हमेशा ही किया जाता है। वर्चस्वाधिकार को उपर उठाने की बृहद परंपरा ये धर्म का सैध्दांतिक तत्वज्ञानात्मक भाग होता हैं। उसी प्रकार जन सामान्य तक क्रियान्वित पक्ष व सम्प्रदाय इनको अभिव्यक्त करनेवाली लघुपरंपरा ये भी धर्म का ही अविभाज्य भाग होता है।

धर्म के उपरोक्त दूहेरी स्वरूप ही राजनीति से उसके संबंध अस्वस्थ करने के लिये मुख्यत जबाबदार होते है। हमारे देश ने प्रजातंत्र का स्वीकार किया है, और प्रजातंत्र में व्यक्ति, व्यक्ति मे किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता इसलिये धर्मनिरपेक्षता ये परिस्थितीजन्य आवश्यकता है। 'धर्मनिरपेक्षता' का स्वीकार कर हमने सम्पूर्ण दुनिया को ये बता दिया है कि, हमारा देश लोकतंत्रवादी है, हम आधुनिक और सुसंस्कृत है, हमारी प्रवृत्ती वैज्ञानिक है। लेकिन वर्तमान में भारतीय संस्कृती की आत्मा ही नष्ट होते जा रही है। हमेशा संयम, शांत सहिष्णु माने जाने वाले लोग आज असहिष्णुता की भाषा बोलते नजर आते है। हिंसा, अत्याचार, लुटमारी, हत्याकांड, बलात्कार इत्यादि बातो को मूक मान्यता दे रहे है। मानवता नष्ट होते जा रही है। परस्पर द्वेष, वैमनस्य बढते जा रहा है।

आज हमारे नेताओ की दृष्टी में उनके कार्यो में हमे धर्म निरपेक्षता दिखाई नही देती। अपने देश की चिंता उनको नहीं है। हमारे देश की नाक संसद पर विस्फोट करने वाले हमारी आर्थिक राजधानी पर विस्फोट करने वालों के एशो–आराम पर हम करोडो रूपये खर्च कर रहे है।

यदि विशिष्ट धर्म की तरफ तुष्टीकरण न अपनाते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उन निर्णयों का पालन करते हुये योग्य कार्यवाही उचित समय पर की होती तो शायद हमारी सरकार जन–सामान्य के नजरों में उपर उठ जाती लेकिन इसकी पर्वाह न करते हुये उन्हें अपने वोट बँक की परवाह है। उसी प्रकार सभी अल्पसंख्यांक जो आरक्षण की मांग कर रहे है, तो आरक्षणों को सरकार ने बंद कर सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिये। यहाँ तक कि धर्म, जात का कॉलम स्कूल, कॉलेज के प्रवेश पत्रो से निकाल देना चाहिये, जब बच्चा बालमंदिर मे प्रवेश लेता है तो उसके प्रवेश पत्र पर जो जात धर्म लिखना

होता है, वहीं से ये भेद प्रारंभ हो जाता है। अंत जो भारत में रहता है उसका धर्म, जात सभी भारतीय होनी चाहिये। अन्यथा यह देश एकसंघ कहलाना कठिन है। हमारे भारत जैसे विशाल देश में जो विविध नई–नई घटनाये घटती है। तो बाहरी देश से आये लोगों को लगता है कि ये देश कैसे चलता हैं? इस देश में लोकतंत्र कैसे क्या टिका हुआ है? लेकिन हमारे देश में अनेक लोग बहुत ही अच्छे है, वे लोग देश के लिये काम कर रहे है। लोगों मे राष्ट्रभक्ती की भावना जगा रहे है। ऐसे गिने चुने लोगों के कारण ही हमारे हिन्दुस्थान में प्रजातंत्र, टिका हुआ हैं परंतु हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को साठ साल से उपर हो गये, किसी भी व्यक्ति या संस्था के जीवन में साठ साल अत्यंत महत्वपूर्ण होते है और इस उम्र मे एक परिपवक्ता आ जाती है। लेकिन भारतीय संसद अभी भी अपरिपक्वता का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। आज धर्म निरपेक्ष राज्य निर्माण करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से कॉंग्रेस पक्ष दूर होते जा रहा है। आज कॉंग्रेस पक्ष इस बात को मान्य करेगा नहीं, उसी प्रकार सभी पक्षो पर यह बात लागू होती है आज कोई भी पक्ष दूध का धूला नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्ष हो, सभी पक्षों मे किसी न किसी धर्म को तुष्टीकरण करने की नीति है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत मे राजनेताओं के कारण आधुनिकता के बहुमुखी प्रक्रिया से धार्मिकता कम होने के बजाय बढती हुई ही दिखाई दे रही है।

/kefujis{krk fuekZ.k djus gsrq mik; &

1) धर्म निरपेक्षता ये संकल्पना हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। उसका विचार वैज्ञानिक आधुनिक और तर्कशुध्द दृष्टीकोण से होना चाहिये। भावनात्मक और धर्मांधता इस दृष्टिकोण से इसका विचार न हो तभी हम सही धर्मनिरपेक्षता ला सकते है। 2) धर्मनिरपेक्षता यें विषय काफी विस्तृत है इस पर न्यायालयो ने विविध दृष्टिकोण से निर्णय दिये है। उनमें से कुछ निर्णय परस्पर विरोधी है। अत इन निर्णयों में सुसंवाद निर्माण करने की आवश्यकता है। 3) धर्म निरपेक्षता याने धार्मिक तटस्थता सभी धर्मो को दूर रखना किसी भी धर्म को सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप न करने देना, धार्मिक विधी, व्यवहारों को सार्वजनिक समारंभ संस्था में प्रवेश न देना इसी को धार्मिक तटस्थता कहते है। धर्म का स्थान घर में प्रार्थना स्थल, धार्मिक समूह, समारंभ, उत्सव में होना चाहिये। सार्वजनिक जीवन में नही। परंतू हमने जो मार्ग स्वीकारा है उसमें सभी धर्मो को हम दूर न रखते हुये उनको पास बुलाते है। धार्मिक संस्थाओं को आश्रय देते हुये दिखाई देते है। इस प्रकार हमने सर्वधर्म समभाव ये धर्म निरपेक्षता का मार्ग स्वीकार किया है। धार्मिक तटस्थता का नहीं इसलिये हमारे यहाँ धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में संघर्ष होता है। अत धार्मिक तटस्थता ये सही मायने में हमारे राज्यकर्ताओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है क्यो कि धर्मनिरपेक्षता स्वीकार कर हमने कोई महान कार्य नही किया है। बल्कि लोकतंत्र की वो आवश्यकता है।

4) संविधान के कलम 19 व कलम 25 में प्रत्येक को अपने धर्म का आचरण व पालन करने का अधिकार हैं। इसमें किसी को भी धर्म परिवर्तन का अधिकार हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता में ये अधिकार है। परंतु यदि कोई जोर जबरदस्ती से आमीष दिखाकर फंसाकर इत्यादि माध्यम से धर्म परिवर्तन करने लगाते हो तो उसके विरूध्द कानून निर्माण होना आवश्यक है, क्योकि ये गुन्हा है। अभी तारीख 28 अक्टुबर 2011 के ''तरूण भारत''समाचार पत्र में ये पढने में आया कि, पाकिस्तान मे पूरग्रस्त दो हजार हिंदू नागरिको को उनकी असहायता का फायदा लेकर अतिरेकी संघटना सिंध प्रांत मे पूरग्रस्त लोगो के लिये जो तंबू बनाये गये है, उनमें रहने वाले हिन्दुओं को जबरदस्ती इस्लाम का पाठ पढाती है,और उन्हें नमाज पढने के लिए आग्रह किया जाता है। धर्म परिवर्तन की सक्ती भले ही न की हो परंतु वातवारण निर्मिती करने का काम किया जा रहा है। उनको इस्लामी शिक्षण भी दिया गया। ये कहाँ का न्याय है, अंत यदि ऐसी परिस्थिती हो तो धर्म परिवर्तन के विरोध में अधिनियम बनाना आवश्यक है, क्योंकिहमारे देश की परिस्थिती इससे कुछ अलग नही। कई धमों के लोग गरीब माँ–बाप को आमिष दिखाकर उनके माँ–बाप से बच्चो को दूर ले जाकर उनका खर्च पूरा कर पढा लिखाने के बहाने विशिष्ट धर्म की शिक्षा देते है। बल्कि उनका सारा खर्च सरकारी स्कूल उठाते है, परंतु शिक्षा, आचरण उस विशिष्ट धर्म का सिखाया जाता है। 5) सभी शिक्षण संस्थाओ मे प्रवेश अर्ज मे से धर्म जात जो पूछी जाती है बंद जाय किसी भी धर्म, जात को विशेष सहूलियत न दी जाये। 6) मनुष्य मात्र को तुच्छ न माना जाय अर्थात जात का अभिमान न किया जाये, इसके लिये सरकार द्वारा विशेष कदम उठाये जाये। 7) धर्मनिरपेक्षता स्वदेश नीती और जन कल्याण ये विचार सबके मन में हो क्योंकि ये राष्ट्रवाद निर्माण करने में सहायक है। 8) सभी सत्य के मार्ग को स्वीकार करे। 9) भाईचारा की भावना का विकास करे उसे बढाये।

fu"d"kZ & अत निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि, धर्म एक संस्कृतिनिष्ठ और सभ्यता युक्त जीवन पध्दती है और मानवता ये ही सभी धर्मो का लक्ष्य है। वर्तमान में जात, धर्मसत्ता और राजसत्ता इनमें संघर्ष चालू है। धर्मवादी, राजनीति के कारण धर्म की मूल संकल्पना ने विकृत रूप धारण किया हैऔर धर्म निरपेक्षता ये संकल्पना भी विकृत हो गई है। जब तक धर्मवाद, जातवाद ये प्रबल होते जाएंगे तब तक भारतीय संविधान के उद्देश्यपत्रिका में लिखे गये तत्वों को अविष्कृत करना कठिन होगा।

*** कला व विज्ञान महाविद्यालय, कुन्हा**

संदर्भ ग्रंथ

1) तरूण भारत –28 अक्टुबर 2011.
2) धर्मनिरपेक्षता आणि भारत – डॉ. सदा कन्हाडे. स्वरूप प्रकाशन औरंगाबाद.
3) समाज विमर्श–भा.ल. भोळे न्यु एज प्रिंटिंग प्रेस भूपेश गुप्ता भवन 85 सयानी रोड प्रभादेवी मुंबई.
4) धर्म, समाज आणि राजकारण –संपादक –डॉ. अशोक चौसाळकर न्युएज प्रिंटिंग प्रेस भूपेश गुप्ता भवन, मुंबई.